संख्या-61/2025/346/005-23-9002(002)/79/2024

प्रेषक,

शिव कुमार,
अनु सचिव,
उ0प्र0शासन

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-9 **लखनऊ::दिनांक 07 फरवरी, 2025**

विषय - वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 योजनान्तर्गत विभिन्न जनपदों के 13 मार्गों के चालू कार्यों पर धनराशि आवंटित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता(मु-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रों(निम्न तालिका के कॉलम-2 में उल्लिखित विभिन्न तिथियों के पत्र) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 योजनान्तर्गत विभिन्न जनपदों के 13 मार्गों के चालू कार्यो हेतु तालिका के स्तम्भ-5 में उल्लिखित शासनादेश द्वारा निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के क्रम में उक्त चालू कार्यो पर वित्तीय वर्ष 2024-25 में तालिका के स्तम्भ-11 के अनुसार कुल रू0 8,58,40,000/- (रूपये आठ करोड़ अठ्ठावन लाख चालीस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते करते हैं :-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता मु0-) (1,लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	स्वीकृति का शासनादेश संख्या	निर्माण लागत/ अनुरक्षण लागत/ स्वीकृत लागत/ प्रावैधिक स्वीकृति	बचत	बचत की उपरांत कार्य की लागत	अब तक आवंटन	प्रावैधिक स्वीकृति के सापेक्ष अवशेष	वित्तीय वर्ष 2024-25 में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	10429/CE-HQ1/RIDF26 VR/ADY/2024 -25 Dt- 19-09-2024	प्रा.ख. अम्बेडकरनगर	एन0एच0-232 के किमी-31 (सुखारीगंज) से उदयपुर चौराहा बेवाना ताराखुर्द होते हुए किमी-9 से निकलकर राजस्व ग्राम खुथाखरपुर के उपाध्याय का पूरा सम्पर्क मार्ग	52/2021/122/23-9-2021-19नार्बा0(स0मा0)/2020-दिनांक-01-03-2021	84.94 7.75 92.69 92.69	13.23	79.46	70.42	9.04	1.29
2	10405/CE-HQ1/RIDF26 VR/GON/2024-25 Dt- 18-09-2024	प्रा.ख. श्रावस्ती	पीलीभीत-बहराइच-बस्ती मार्ग (एन0एच0-730) के किमी-293 से बाएं गोविन्दपुर सेमगढ़ा सम्पर्क मार्ग के किमी-2 से बाएं लालबनकटी सम्पर्क मार्ग	52/2021/122/23-9-2021-19नार्बा0(स0मा0)/2020-दिनांक-01-03-2021	73.94 6.75 80.69 80.69	7.51	73.18	65.11	8.07	1.32
3	11896/CE-HQ1/RIDF29 VR/MIR/2024-25 Dt- 27-01-2025	प्रा.ख. सोनभद्र	भागलपुर बुडहर खुर्द वाया मानपुर सम्पर्क मार्ग के कि0मी0 4 से पवंर (पी0एम0जी0एस0वाई0 तक) वाया कलवारी मार्ग का निर्माण कार्य।	03/2023/1278/001-23-9-2023-23-9002-002-44-2023-दिनांक-02-01-2024	129.73 12.68 142.41 139.24	5.35	133.89	113.93	19.96	7.28
4	11896/CE-HQ1/RIDF29 VR/MIR/2024-25 Dt- 27-01-2025	प्रा.ख. सोनभद्र	परासी पाण्डेय में भागलपुर बुडहर खुर्द सम्पर्क मार्ग वाया मानपुर के कि0मी0 2 से कब्रिस्तान से होते हुये खैराही तक मार्ग का निर्माण कार्य।	03/2023/1278/001-23-9-2023-23-9002-002-44-2023-दिनांक-02-01-2024	97.24 9.42 106.66 104.30	10.67	93.63	1.28	92.35	82.93
5	11896/CE-HQ1/RIDF29 VR/MIR/2024-25 Dt- 27-01-2025	प्रा.ख. सोनभद्र	ग्राम सेमिया से नेवारी मार्ग का निर्माण कार्य।	03/2023/1278/001-23-9-2023-23-9002-002-44-2023-दिनांक-02-01-2024	131.00 12.80 143.80 140.65	7.19	133.46	52.73	80.73	67.93
6	10989/CE-HQ1/RIDF29 VR/LKO/2024 -25 Dt- 30-10-2024	नि.ख. सीतापुर	बिनौरा से लेखनापुर सम्पर्क मार्ग।	03/2023/1278/001-23-9-2023-23-9002-002-44-	109.19 10.67 119.86 119.86	7.1	112.76	95.89	16.87	6.20

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता मु0-) (1,लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	स्वीकृति का शासनादेश संख्या	निर्माण लागत/ अनुरक्षण लागत/ स्वीकृत लागत/ प्रावैधिक स्वीकृति	बचत	बचत की उपरांत कार्य की लागत	अब तक आवंटन	प्रावैधिक स्वीकृति के सापेक्ष अवशेष	वित्तीय वर्ष 2024-25 में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2023-दिनांक-02-01-2024						
7	10989/CE-HQ1/RIDF29 VR/LKO/2024 -25 Dt- 30-10-2024	नि.ख. सीतापुर	बिलहरी से गौरिया सम्पर्क मार्ग।	03/2023/1278/001-23-9-2023-23-9002-002-44-2023-दिनांक-02-01-2024	86.66 8.26 94.92 94.92	9.25	85.67	75.94	9.73	1.47
8	10989/CE-HQ1/RIDF29 VR/LKO/2024 -25 Dt- 30-10-2024	नि.ख.-2 हरदोई	साण्डी बघौली मार्ग कि0मी0 5 से रामापुर सम्पर्क मार्ग	03/2023/1278/001-23-9-2023-23-9002-002-44-2023-दिनांक-02-01-2024	168.21 16.45 184.66 132.81	15.59	117.22	76.16	41.06	24.61
9	10989/CE-HQ1/RIDF29 VR/LKO/2024 -25 Dt- 30-10-2024	नि.ख.-1 खीरी	ग्राम पिपरानदीपार के मजरा भदौरियनपुरवा से कोपा मार्ग तक छूटी कड़ी का निर्माण कार्य।	03/2023/1278/001-23-9-2023-23-9002-002-44-2023-दिनांक-02-01-2024	368.19 36.96 405.15 405.15	42.16	362.99	164.12	198.87	161.91
10	10461/CE-HQ1/RIDF29 VR/JHA/2024 -25 Dt- 19-09-2024	नि.ख.-3 झांसी	सिमथरी से मुस्तरा मध्य प्रदेश की सीमा तक सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य।	03/2023/1278/001-23-9-2023-23-9002-002-44-2023-दिनांक-02-01-2024	150.93 14.75 165.68 165.68	2.50	163.18	35.00	128.18	113.43
11	10482/CE-HQ1/RIDF29 VR/AGR/2024 -25 Dt- 22-09-2024	प्रा.ख. मैनपुरी	खजुरिया से नगला दुधी मार्ग	03/2023/1278/001-23-9-2023-23-9002-002-44-2023-दिनांक-02-01-2024	161.74 15.71 177.45 164.75	31.05	133.70	29.80	103.90	88.19
12	10482/CE-HQ1/RIDF29 VR/AGR/2024 -25 Dt- 22-09-2024	प्रा.ख. मैनपुरी	नवीगंज जासमई मार्ग पर मधुपुरी से धउआखेडा सम्पर्क मार्ग	03/2023/1278/001-23-9-2023-23-9002-002-44-2023-दिनांक-02-01-2024	122.59 11.96 134.55 101.55	14.30	87.25	25.79	61.46	49.50
13	12304/CE-HQ1/RIDF29 VR/JHA/2024 -25 Dt- 04-02-2025	प्रा.ख. जालौन	बरसार कमठा मार्ग से सिकरी व्यास सम्पर्क मार्ग	03/2023/1278/001-23-9-2023-23-9002-002-44-2023-दिनांक-02-01-2024	283.90 27.76 311.66 290.63	5.20	285.43	5.33	280.10	252.34
									योग	**858.40**

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इस उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(2) उक्त मार्गों को निर्धारित मानकों के अनुसार गुणवत्तापरक पूर्ण कराकर उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(3) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2023, दिनांक 04 मार्च, 2024 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्तम्भ -5 में अंकित शासनादेशों की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

(5) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी.डी.ओ. कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं.-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अत: अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 8,58,40,000 (रुपये आठ करोड़ अट्ठावन लाख चालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 058 **लेखा शीर्षक** 5054043376400 नाबार्ड वित्त पोषित आर आई डी एफ योजना अन्तर्गत कृषि विपणन सुविधाओं हेतु सम्पर्क मार्गों/लघु सेतुओं के चालू कार्यों हेतु व्यवस्था (जिला योजना) **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
शिव कुमार
अनु सचिव।

संख्या- उपरोक्त एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0 प्रयागराज ।
2- जिलाधिकारी, संबंधित जनपद।
3- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
4- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
6- महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, उ0प्र0 क्षेत्रीय कार्यालय, 11 विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0, लखनऊ।
8- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
9- संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
10- संबंधित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता , लो0नि0वि0।
11- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 /वित्त (आय-व्ययक), अनुभाग-2, उ0प्र0शासन ।
12- लोक निर्माण अनुभाग-10/श्रम अनुभाग-2
13- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
शिव कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।